प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.04.2025

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 09.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र राकेश निवासी जी-ब्लॉक गली न0 18 थाना सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष 2. सुमित उर्फ विकास पुत्र ओमप्रकाश निवासी जी 1/108 गली नं0-4 पाँचवा पुस्ता सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 24 वर्ष 3. रोमित उर्फ आकाश सिंह पुत्र रिषिपाल निवासी पांचाल विहार गली न0-6 ए-ब्लॉक थाना करावलनगर दिल्ली, उम्र करीब 27 वर्ष 4. नितेश उर्फ अमन पुत्र सत्यप्रकाश निवासी मुकुन्द विहार सी-307 गली नं0-4 करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 28 वर्ष को शुक्र बाजार को जाने वाले रास्ते थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से गाजियाबाद व दिल्ली के अलग अलग स्थानों से चोरी की गई 04 मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग दिल्ली व अन्य जगहों से मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते हैं तथा उन्हीं मोटर साईकिलों को बेचकर अपने शौक पूरे करते हैं। ये मोटरसाइकिलें हम सभी ने मिलकर दिल्ली व गाजियाबाद में अलग अलग स्थानों से चोरी की थी और पकड़े जाने के डर से हमने इन्हें अभी तक छिपा कर रखा था। आज हम लोग मोटरसाईकिलों को बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1.सागर पुत्र राकेश निवासी जी-ब्लॉक गली न0-18 थाना सोनिया विहार दिल्ली,उम्र करीब 25 वर्ष। 2. सुमित उर्फ विकास पुत्र ओमप्रकाश निवासी जी 1/108 गली नं0-4 पाँचवा पुस्ता सोनिया विहार दिल्ली, उम्र करीब 24 वर्ष।

3. रोमित उर्फ आकाश सिंह पुत्र रिषिपाल निवासी पांचाल विहार गली न0-6 ए-ब्लॉक थाना करावलनगर दिल्ली, उम्र करीब 27 वर्ष।

4. नितेश उर्फ अमन पुत्र सत्यप्रकाश निवासी मुकुन्द विहार सी-307 गली नं0-4 करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त सुमित उर्फ विकास व नितेश उर्फ अमन उपरोक्त के विरुद्ध चोरी व बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 03 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त सागर उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी व बरामदगी के संबंध में 03 अभियोग तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी का वाहन बरामदगी 01 अभियोग, तथा थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त रोमित उर्फ आकाश उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी व बरामदगी के संबंध में 03 अभियोग तथा थाना लोनी पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ अवैध गांजा के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 09.04.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाली 02 अभियुक्ता 1. शबनम पत्नी बब्लू निवासी लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष 2. ज्योति आर्यन पत्नी कैलाश चन्द आर्यन निवासी टंकी के पास लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जनपद गाजियाबाद, उम्र

करीब 32 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 10 किलो100 ग्राम अवैध गांजा व गांजा की बिक्री के कुल 18250/- रुपये बरामद हुए। गिरफतार अभियुक्तागण के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>

अभियुक्तागण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम चोरी छिपे बाहर से अवैध गांजा लाकर छोटी-छोटी पुडिया बनाकर राह चलते लोगों को बेच देती हैं तथा मुनाफा कमा लेती हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता -</u>

1.शबनम पत्नी बब्लू निवासी लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

2. ज्योति आर्यन पत्नी कैलाश चन्द आर्यन निवासी टंकी के पास लाल क्वार्टर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 32 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व गांजा की बिक्री के कुल 18250/- रुपये बरामद

<u>अभियुक्तागण का आपराधिक इतिहास-</u>

अभियुक्ता शबनम व ज्योति उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उक्त प्रकरण के संबंध में NPDS ACT का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्ता शबनम के विरुद्ध थाना विजयनगर पर NPDS ACT के 06 अभियोग तथा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर NDPS ACT के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग- 08) अभियुक्ता शबनम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की हिस्ट्रीशीटर भी है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा बरामद।

दिनांक 25.02.2025 को वादी द्वारा लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त आकाश व उसके दो अज्ञात साथियों द्वारा वादी के ऊपर तमंचा से फायर करना जिससे वादी के सीने में गोली लग जाना और वादी गंभीर रूप से घायल हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 109 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.02.25 को अभियुक्त आकाश पुत्र शैलेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 09.04.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त इमरान उर्फ अय्या पुत्र मुन्ना निवासी गोकलपुरी थाना गोकलपुरी दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष को नहर रोड थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह वही तमंचा है जिससे मैंने आकाश के साथ मिलकर जनता में दहशत फैलाने व वादी को जान से मारने के लिये फायर किया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

इमरान उर्फ अय्या पुत्र मुन्ना निवासी गोकलपुरी थाना गोकलपुरी दिल्ली, उम्र करीब 25 वर्ष। **<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -</u>**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/बरामदगी/ फायरिंग /हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट तथा रंगदारी के 08 अभियोग पंजीकृत हैं तथा उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 08.04.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. शाहरुख पुत्र वाहिद निवासी गली नं0 8, डी ब्लॉक श्रीराम कॉलोनी कच्ची खजूरी दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष 2. मौ0 शाहरुख पुत्र अफसर निवासी नूरानी मस्जिद के पास गली नं0-3 ई- ब्लॉक कच्ची खजूरी दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष को सभापुर अन्डरपास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई बिना नम्बर प्लेट की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने मिलकर काफी समय पहले दिल्ली से चोरी की थी तथा पकड़े जाने के डर से हमने इसे अभी तक छिपा कर रखा था । हम लोग इस मोटरसाइकिल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. शाहरुख पुत्र वाहिद निवासी गली नं0 8, डी ब्लॉक श्रीराम कॉलोनी कच्ची खजूरी दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष ।
2. मौ0 शाहरुख पुत्र अफसर निवासी नूरानी मस्जिद के पास गली नं0-3 ई- ब्लॉक कच्ची खजूरी दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा रोड़ किनारे खडी गाडियों की बैटरी चोरी करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 18 बैटरी व घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा बरामद ।

आज दिनांक 09.04.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान रोड़ किनारे खडी गाडियों की बैटरी चोरी करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. जावेद उर्फ पतला पुत्र टोला निवासी म0न0 350 गली न0 2 कबूतर चौक सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष, 2. आबिद पुत्र सब्बीर निवासी ए-12 कबूतर चौक सुन्दर नगरी थाना सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष, 3. नासिर पुत्र भूरे खां निवासी मंडावली सादिक ब्लाक बाल्मिकी कॉलोनी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष व 4. शाने आलम पुत्र ईस्फाक निवासी गली न0 1 सीलमपुर सब्जी मण्डी थाना

कृष्णा नगर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष को 80 फुटा रोड़ गन्दे नाले के किनारे शौचालय के पास शालीमार गार्डन से चोरी की हुई 18 बैटरी व घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि चारों अभियुक्तगण उपरोक्त में से दो लोग रोड़ के किनारे खडी गाडियों की रैकी करते है व दो लोग गाडियों से कुछ दूरी पर खडे होकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते है और मौका पाते ही रात्रि में रोड किनारे खडे चार पहिया वाहन की बैटरी खोलकर चोरी करके तथा उन बैटरियों को इक्टठा करके बेच देते है और जो पैसे मिलते हैं उन्हें आपस मैं बराबर-बराबर बांट लेते हैं। इसीक्रम में बरामद बैटरी में से 03 बैटरियों को चारों अभियुक्तगण उपरोक्त ने करीब 15 दिन पहले शालीमार गार्डन एक्सटेंशन -01 में गन्दे नाले की पुलिया के पास एक कॉलोनी के गेट के अन्दर खडी 03 गाडियों में से चोरी किया था, बाकी 15 बैटरियों को भी अभियुक्तगण उपरोक्त ने शालीमार गार्डन के आसपास के क्षेत्रों में सड़क किनारे खडी गाडियों से चोरी किया था। आज चारों अभियुक्तगण उपरोक्त कई दिनों से चोरी की हुई बैटरियों को इकट्ठा करके बेचने के लिये पसोंडा की तरफ जा रहे थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-</u>

1. जावेद उर्फ पतला पुत्र टोला निवासी म0न0 350 गली न0 2 कबूतर चौक सुन्दर नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।
2. आबिद पुत्र सब्बीर निवासी ए-12 कबूतर चौक सुन्दर नगरी थाना सुन्दर नगरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।
3. नासिर पुत्र भूरे खां निवासी मंडावली सादिक ब्लाक बाल्मिकी कॉलोनी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।
4. शाने आलम पुत्र ईस्फाक निवासी गली न0 1 सीलमपुर सब्जी मण्डी थाना कृष्णा नगर दिल्ली उम्र करीब 24 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

- चोरी की हुई 18 बैटरी व घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा बरामद।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा 01 मोबाइल स्नेचर व छिनैती के मोबाइल खरीदने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2200/- रुपये व 10 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 09.04.2025 को वादी श्री पुनीत राठी पुत्र हनुमानदास राठी नि0 न्यू गांधी नगर ने थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 21.03.25 को शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास जब मैं टेम्पों में बैठकर जा रहा था तभी एक अज्ञात लड़के ने मेरा आई फोन 16 प्रो झपट्टा मारकर छीन ले गया था। जिसके आधार पर थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा अभियोग अन्तगर्त धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत कर सीसीटीवी कैमरा, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त विकास शर्मा को राधास्वामी सत्संग कट के पास से मय छीने गये मोबाइल को बेचकर प्राप्त किए गए रुपयों में से 2200/- रुपये तथा एक आई फोन व एक सैमसंग एंडरायड फोन तथा दूसरे अभियुक्त रोहित चौधरी को अंबुजा पार्क (पटेलनगर) से मय चोरी व छिनैती के खरीदे गए 08 एंडरायड मोबाइल फोन सहित अन्तर्गत धारा 304(2),317(2),317(5) BNS में गिरफ्तार किया गया है व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त विकास ने पूछने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ मैं पहले भी लूट व छिनैती में पहले भी जेल जा चुका हूं अपनी नशे की लत व शौक पूरा करने के लिए फोन आदि की छिनैती की घटनाएं करता हूँ। दिनांक 21.03.25 को भी मैंने शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पर फोन पर बात कर रहे व्यक्ति से, फोन झपट्टा मारकर छीनकर भाग गया था। जिसे मैंनें राह चलते किसी व्यक्ति को 5000 रुपए में बेच दिया था। जो 2200/- रुपये मुझसे मिले हैं वो उन्हीं रुपयों में से बचे हुए है। तथा बरामद दो मोबाइल मैंनें लगभग दो दिन पहले थाना सिहानीगेट व नन्दग्राम क्षेत्र से छीने थे। अभियुक्त रोहित चौधरी ने बताया कि विकास छीने व लूटे गए मोबाइलों को मुझे सस्ते दामों बेच देता था उन मोबाइल फोन को मैं मुनाफा कमाने के लिए अपनी मजबूरी बताकर राह चलते व्यक्तियों को बेच देता था।

नाम पता अभियुक्तगण

1- विकास शर्मा पुत्र दिनेश कुमार शर्मा, नि0 बी-57ए, नन्दग्राम गा0बाद, उम्र करीब 32 वर्ष
2- रोहित चौधरी पुत्र राजकुमार सिंह, नि0 म0नं0 2, गली नं0 3, फाइन टेलर के सामने, थाना नन्दग्राम, गा0बाद उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदी का विवरण

1.अभियुक्त विकास से 2200/- रुपये, एक आई फोन तथा एक सैमसंग फोन
2.अभियुक्त रोहित चौधरी से 08 मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त विकास के विरूद्ध थाना सिहानीगेट पर पूर्व में लूट के 05 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 संदिग्ध / चोरी की मोटरसाइकिल, 05 संदिग्ध मोबाइल फोन व 2 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक 09.04.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. सुन्दर पुत्र पूरन निवासी गली न0-7 फेस-4 शिव विहार करावल नगर दिल्ली, हाल पता गली न0-7 रावत वाली गली के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र

करीब 25 वर्ष 2. किशन पुत्र अनिल कुमार निवासी बडी मस्जिद के पास सुधीर एन्क्लेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 3. रंजीत उर्फ हउवा पुत्र मेवाराम निवासी एफ ब्लाक राज विहार रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष 4. विनीत उर्फ कटप्पा पुत्र किशन निवासी पाण्डेय चौक के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र रामपार्क से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अलग-अलग स्थानों से चोरी की गयी कुल 05 मोटरसाइकिल, 05 संदिग्ध मोबाइल फोन व 2 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। बरामद वाहनों में 01 मोटरसाइकिल थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से तथा 03 मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की गयी थी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम आपस में एक दूसरे को काफी दिनो से जानते हैं हम चारों लोग पहले दिल्ली एनसीआर में मोटरसाइकिल से घूमफिर कर रैकी करते हैं तथा सही मौका पाकर मोटरसाइकिल आदि वाहन चोरी कर लेते हैं। हम लोग मौका पाकर राह चलते लोगों से मोबाइल फोन भी छीन लेते हैं तथा उनको बेचकर अपने शौक पूरे करते हैं। हम लोग पुलिस से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उनका प्रयोग करते हैं। हम अधिकांशतः फैक्ट्री एरिया व घनी आबादी के आसपास के क्षेत्रों से दुपहिया वाहनों की चोरी करते हैं जिनको ले जाकर घनी झाड़ियां में छिपा देते हैं और मौका देखकर हम लोग वाहनों को दिल्ली कबाडी बाजार में बेचकर पैसे कमाकर आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. सुन्दर पुत्र पूरन निवासी गली न0-7 फेस-4 शिव विहार करावल नगर दिल्ली, हाल पता गली न0-7 रावत वाली गली के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।
2. किशन पुत्र अनिल कुमार निवासी बडी मस्जिद के पास सुधीर एन्क्लेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।
3. रंजीत उर्फ हउवा पुत्र मेवाराम निवासी एफ ब्लाक राज विहार रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।
4. विनीत उर्फ कटप्पा पुत्र किशन निवासी पाण्डेय चौक के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजाकृत अभियोग-

अभियुक्त सुन्दर पुत्र पूरन के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी व अंकुर विहार पर चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त किशन पुत्र अनिल कुमार के विरूद्ध थाना रोहिणी साउथ में चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त रंजीत उर्फ हउवा पुत्र मेवाराम के विरूद्ध थाना खजूरी खास/सोनिया विहार दिल्ली में आबकारी अधिनियम के 03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है
।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से अलग-अलग स्थानों से चोरी की गयी कुल 05 मोटरसाइकिल, 05 संदिग्ध मोबाइल फोन व 2 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा वादी के प्लाट पर जबरन कब्जा कर रंगदारी मागने वाला वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 09.04.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रवाना होकर वादी के प्लाट पर जबरन कब्जा कर रंगदारी मागने वाला वाँछित 01 अभियुक्त कुरबान पुत्र महरुद्दीन वर्तमान पता बी 182 शालीमार गार्डन एक्स 02 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद मूल पता ग्राम असारा थाना रमाला जिला बागपत उम्र करीब 52 वर्ष को एकता पार्क शालीमार गार्डन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त कुरबान पुत्र महरुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 338,336(3),340(2),308(5),329(3),329(4),351(2),351(3) बीएनएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त कुरबान पुत्र महरुद्दीन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि गिरफ्तार अभियुक्त कुरबान पुत्र महरुद्दीन उपरोक्त द्वारा अपने सह अभियुक्त धर्मपाल के साथ मिलकर धोखाधडी कर प्लाट न0 बी 182 की धोखाधडी कर रजिस्ट्री कराकर अवैध कब्जा कर वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

कुरबान पुत्र महरुद्दीन वर्तमान पता बी 182 शालीमार गार्डन एक्स 02 थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद मूल पता ग्राम असारा थाना रमाला जिला बागपत उम्र करीब 52 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त कुरबान पुत्र महरुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालमार गार्डन पर प्लाट पर कब्जा करने व रंगदारी मागने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन के सभी थाना क्षेत्रों में दिनांक 08.04.25 को शाम 06:30 बजे से लेकर 09:30 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 530 व्यक्तियों को, जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया व उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गयी।

जोनवार चालान की स्थिति निम्नवत रही –

नगर जोन-234 , ट्रांस हिंडन जोन-155 , तथा ग्रामीण जोन-141 कुल -530 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई गयी।